NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), a Government of India Undertaking has been established under the aegis of Ministry of Social Justice & Empowerment which provides financial assistance to the members of Backward Classes through State Channelizing Agencies. People living below double the poverty line can obtain loan assistance for their self-employment ventures in the following sectors :-

1. Agriculture & Allied Activities   2. Small Business/Artisan & Traditional Occupation
3. Transport Sector & Service Sector   4. Technical and Professional Trades/Education loan for professional Courses.

Applicant can choose any of the viable occupation of his/her choice under these sectors.

Eligibility for loan

1. The applicant should belong to the Backward Classes as notified by State/Central Government from time to time.
2. The annual family income of the rural applicant should be less than Rs.~~81~~ 98,000/- and urban applicant should be less than Rs. ~~1,03,000/-~~ 1,20,000/-

Types of Loans :

1. Term Loan & Margin Money Loan Scheme 2. Micro Finance Scheme

1) **Term Loan & Margin Money Loan Scheme:** Under Term Loan Scheme, loans are given upto 85% of the project cost subject to a maximum of Rs. 10 lakh per beneficiary. Under the Margin Money Loan Scheme loans are given upto 40% of the project cost and balance amount of project cost is contributed by Bank/Finance Institution (50%) SCA/beneficiary (10%). Under Term Loan Scheme following special schemes are covered.

(a) **"New Swarnima"- Special Scheme for Women:** For inculcating the spirit of self-reliance among the Women of Backward Classes, the Corporation has introduced a special scheme **"New Swarnima"**. The Salient features of the scheme are as under:
• The beneficiary women are not required to invest any amount of their own towards margin. • Maximum loan limit is Rs. 1 lakh per beneficiary • Rate of interest from beneficiary is @5% p.a. • Maximum repayment period is 10 years.

(b) **Saksham:** This is a special scheme under Term Loan Scheme. Under the scheme young professional belonging to Backward Classes confessional loans are provided to set-up their own self-employment ventures after completing the professional courses such as Doctors' Clinic, Nursing Homes, Physiotherapy Clinics, Bio-Medical labs, Lawyer Office, Engineering Unit, Chemist Shops, Architect Offices, Office for CA/Finance consultancy etc. Under the scheme maximum loan limit is Rs. 10 Lakh. Rate of interest for Loans upto Rs. 5 Lakh is @6%p.a. & above Rs. 5 lakh is @8%p.a.

(c) **Education Loan Scheme:** To provide financial assistance to the students of Backward Classes for pursuing general/ professional/technical courses or training at graduate and/or higher levels both in India and aboard. Such students who have obtained admission for a course in the Institute recognized by AICTE, Medical Council of India etc. as the case may be, are eligible for the loan, Maximum loan limit per student is Rs. 10 lakh for studying in India subject to maximum 2.5 lakh per annum and Rs. 20 lakh for aboard or actual expenses for the entire course whichever is less rate of intent is @4%.

(d) **Shilp Sampada:** The objective of this scheme is to upgrade the technical and entrepreneurial skill of Backward Classes by way of providing training and financial assistance under Term Loan for self-employment in traditional craft etc. The loan under the scheme may be considered to the artisans and handicraft persons to secure their traditional art & craft and to provide training to upgrade their existing skills with latest technological inputs such as use of Computers, CAD design development etc. Under the scheme maximum loan limit is Rs. 10 lakh Rate of interest for Loans upto Rs. 5 lakh is @6%p.a. & above Rs. 5 lakh is @8%p.a.

2. **Micro Finance**

(a) **Micro Finance Scheme:** In order to implement the NBCFDC Scheme at grass root level and to promote & support Micro Finance Scheme for improvement of credit facilities for the target group specially for women beneficiaries. The Corporation implements Micro Finance through SCAs. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs. 50,000/-. The rate of interest is 5%p.a. from Beneficiary.

(b) **Mahila Samridhi Yojana (Micro Finance Scheme for Women) :** To provide Micro Finance to women entrepreneurs belonging to the target group. The scheme is being implemented through SCAs in rural and urban areas by way of financing the women beneficiaries through SHGs. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs. 50,000/-. The rate of interest is 4%p.a. from Beneficiary.

(c) **Krishi Sampada:** A special scheme under Micro Finance for the small and marginal farmers of the target group. The main objective of the scheme is to provide confessional loans to small farmers, vegetable growers of the target group for their urgent requirement of funds during Rabi & Kharif or any cash crop. The maximum loan limit per beneficiary in SHG is Rs. 50,000/-. The rate of interest is 4% p.a. from Beneficiary.

Repayment of Loan : The repayment period of the loans obtained by the beneficiaries will depend on the type of project and income generated by the project. The provision of moratorium and gestation is available under these schemes. Under the Term Loan & Margin Loan the maximum repayment period is upto 10 years. Under the Micro Finance Scheme the maximum repayment period is 4 years.

Training & Marketing : Project linked/skill up gradation training in various trades are provided to the members of target group free of cost through SCAs/reputed Training Institutes. NBCFDC is also providing marketing assistance to the BC artisans for their products.

Monitoring & Evaluation : Monitoring & Evaluation is an essential tool for ascertaining proper implementation of schemes and for taking corrective measures wherever necessary. Monitoring and evaluation of implementation of NBCFDC schemes at grass root level are regular feature of the Corporation. The SCAs have also been advised to strengthen the monitoring mechanism for proper implementation of schemes. Beneficiary Loan Card and Response Cart to verify and test check the identity of the beneficiaries have been introduced by the Corporation.

Channelizing Agency: For obtaining loan assistance under NBCFDC Schemes, eligible candidates should contact to concerned SCA or District Manager of State Corporation or District Collector at District level.

NCUI Building, 5th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016
Website : www.nbcfdc.org.in/ nbcfdc.gov.in

August, 2014

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी)

भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का उनके स्व–रोजगार स्थापना हेतु राज्य चैनेलाइजिंग के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराता है। गरीबी रेखा/दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति स्व–रोजगार स्थापना हेतु निम्न क्षेत्रों के अन्तर्गत ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं :

1. कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र
2. लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय
3. परिवहन सेवाएं एवं सेवा क्षेत्र
4. तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड / पाठ्यक्रम

इन क्षेत्रों के अन्तर्गत अभ्यर्थी कोई भी व्यवसाय अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं।

ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता :

1. अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हो।
2. अभ्यर्थी दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो। अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु.98,000/– तथा शहरी क्षेत्रों में /रु. ~~1,03,000~~ 120,000/– से कम हो।

ऋण के प्रकार

अभ्यर्थी निम्न प्रकार की आय उत्पादक योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकता हैं:

1. सावधि ऋण व मार्जिन मनी ऋण योजना   2 लघु वित्त योजना

1. **सावधि ऋण व मार्जिन मनी ऋण योजना :** सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 85% अधिकतम रु. 10 लाख तक प्रति लाभार्थी ऋण प्रदत्त किया जाता है तथा मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा कुल लागत का 40% ऋण उपलब्ध कराया जाता है व शेष 50% का अंशदान बैंक/अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा तथा 10% राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता हैं। सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत निम्न विशेष योजनाएं संचालित हैं।

(क) "नई स्वर्णिमा" – महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना : पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष योजना **"नई स्वर्णिमा"** संचालित है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं : • महिला लाभार्थियों को अपना अंश विनियोजित करने की आवश्कता नहीं है। • इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 1 लाख प्रति लाभार्थी है। • ऋण अदायगी की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।

(ख) सक्षम योजना : टर्म लोन योजना के अन्तर्गत यह एक विशेष योजना है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गो के लक्षित वर्ग के व्यावसायिक रूप से शिक्षित नवयुवकों को व्यावसायिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त स्वरोजगार आरंभ करने हेतु रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यावसायिक रूप से शिक्षित व्यक्ति अपने स्व–रोजगार स्थापना हेतु चिकित्सक क्लीनिक, नर्सिंग होम, बायोमेडिकल लैब, वकीलों के कार्यालय, अभियंत्री इकाईयो, दवाईयों की दुकान, आर्कीटेक्ट कार्यालय, चार्टड एकाउन्टेंटस/वित्तीय परामर्श हेतु कार्यालय आदि को स्थापित कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 10 लाख है। रु. 5 लाख तक ब्याज की दर 6% वार्षिक व रु. 5 लाख से अधिक के ऋण पर ब्याज दर 8% वार्षिक है।

(ग) शैक्षिक ऋण योजना : लक्षित वर्ग को स्नातक अथवा उच्च स्तर पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु भारत एवं विदेश में अध्ययन हेतु इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया इत्यादि जैसे भी लागू हो, से मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु पात्र है। भारत में अध्ययन हेतु ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख अथवा रु. 2.5 लाख प्रति वर्ष तथा विदेश में अध्ययन हेतु अधिकतम रु. 20 लाख अथवा वास्तविक समग्र व्यय, जो भी कम हो निर्धारित है।

(घ) शिल्प सम्पदा : टर्म लोन योजना के अन्तर्गत इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों के परम्परागत कला इत्यादि में स्व – रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल में अभिवृद्धि करना है। इस योजना के अन्तर्गत परम्परागत कला एवं हस्तकौशल के संरक्षण हेतु दस्तकारों एवं शिल्पियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है एवं उनके वर्त्तमान कौशल ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु आधुनिकतम तकनीक जैसे कम्प्यूटर, सी.ए.डी., डिजाइनिंग विकास आदि का उपयोग किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 10 लाख हैं । रु. 5 लाख तक ब्याज की दर 6% वार्षिक व रु. 5 लाख से अधिक के ऋण पर ब्याज दर 8% वार्षिक है।

2. माइक्रो फाइनेन्स :

(क) माइक्रो फाइनेन्स योजना : एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के उद्देश से लक्षित वर्ग के व्यक्तियों विशेषकर महिला लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधा हेतु निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। स्वयं सेवा समूह में प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम सीमा रु. 50,000 है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है।

(ख) महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए माइक्रो फाइनेन्स योजना) : इस योजना के अन्तर्गत लक्षित वर्ग की उद्यमी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला लाभार्थियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वयं सेवा समूह में प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम सीमा रु. 50,000 है तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है।

(ग) कृषि सम्पदा : इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग के छोटे किसानों, सब्जी उत्पादकों आदि को रबी, खरीफ अथवा नकदी फसलों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत रियायती ऋण उपलब्ध कराना है। प्रति लाभार्थी ऋण की अधिकतम सीमा रु. 50,000 है तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है।

ऋण की वापसी : लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण की वापसी योजना से प्राप्त आय व परियोजना के प्रकार पर निर्भर होगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत योजनानुसार मोराटोरियम का प्रवाधान है। टर्म लोन एवं मार्जिन मनी के अन्तर्गत ऋण वापसी की अधिकतम सीमा 10 वर्ष है। लघु वित्त योजना के अन्तर्गत ऋण वापसी की अधिकतम सीमा 4 वर्ष है।

प्रशिक्षण एवं विपणन : लक्षित वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में परियोजना से सम्बद्ध प्रशिक्षण अथवा कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. पिछड़े वर्गों के दस्तकारों को उनके उत्पादों हेतु विपणन सहायता भी प्रदान करता है।

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन : योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन का सुनिश्चयन एवं जहां आवश्यक हो वहां सुधारात्मक उपायों को लागू कराने का अत्यावश्यक अंग योजनाओं की मॉनीटरिंग एवं उसका मूल्यांकन है। ज़मीनी स्तर पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी योजनाओं का क्रियान्वयन, मॉनीटर एवं मूल्यांकन निगम के नियमित कार्य है। योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है। लाभार्थी की पहचान के सत्यापन हेतु निगम द्वारा लाभार्थी ऋण पत्र एवं रिस्पांस कार्ड को आरम्भ किया गया है।

चैनेलाइजिंग एजेंसी : एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण योजनाओं के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी अथवा राज्य के जिला स्तर पर राज्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा सम्बन्धित जिला कलेक्टर से सम्पर्क करें।

एन.सी.यू.आई., बिल्डिंग, पंचम तल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110 016

वेबसाईट : www.nbcfdc.org.in

gov.

अगस्त, 2014